

Semin.  
2021/331

म.क. 144/2  
21-10-21

# न्यायालय उपजिला कलेक्टर गंगापूर सिटी

(प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021, कैम्प ग्राम पंचायत उमरी)

क्रमांक: 184

-आदेश:-

दिनांक:- 20/10/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी उमरी भू.अनि बादला की रिपोर्ट तथा तहसीलदार गंगापूर सिटी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम उमरी तहसील गंगापूर सिटी व जिला सवाई माधोपुर की जमाबन्दी सम्वत 2022-26 में खाता संख्या 01 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>उमरी</u>	<u>01</u>	<u>ख. नं. 491</u> <u>एकता 3.25 है०</u> <u>किस्म. जै. मु०</u> <u>रास्ता</u>	<u>ख. नं. 491</u> <u>एकता 3.25 है०</u> <u>किस्म. जै. मु० आकदी</u> <u>(उस खाते में दर्ज</u> <u>अमल दरामद का अमल</u> <u>बहेगी)</u>



(अनिल कुमार चौधरी)  
उपजिला कलेक्टर  
गंगापूर सिटी  
दिनांक:- 20/10/2021

क्रमांक:- 185-86

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार गंगापूर सिटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. रक्षित पत्रावली।

(अनिल कुमार चौधरी)  
उपजिला कलेक्टर  
गंगापूर सिटी

